



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/1164

24/03/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए RoDTEP का 05.02.2025 तक विस्तार

संदर्भ संख्या: डीजीएफटी अधिसूचना। संख्या: 66/2024-25, दिनांक 20 मार्च, 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए RoDTEP के 05.02.2025 तक विस्तार के संबंध में उल्लिखित विषय के साथ।

एए, एसईजेड और ईओयू से निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए RoDTEP योजना के तहत सहायता को 05.02.2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालाँकि, 06.02.2025 के बाद से, इन श्रेणियों से निर्यात अब RoDTEP सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य श्रेणियों (डीटीए) के लिए RoDTEP योजना के तहत सहायता अधिसूचना संख्या 32/2024-25 के अनुसार जारी रहेगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न अधिसूचना देखें।

यह आपकी जानकारी के लिए है

सादर,
भारती पारवे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद